R. 1521/I/15 सागर
प्रदीप कुमार/नारायणीबाई

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-6-15 कैम्प सागर	1— आवेदक की ओर से अधिवक्ता उपस्थित उन्हें ग्राह्‌यता एवं स्थगन पर सुना गया यह निगरानी आयुक्त सागर के अंतरिम आदेश दिनांक 01—6—15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा आयुक्त ने आवेदक का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है। 2— आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आयुक्त ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में केवल आवेदक का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया है। और अपील निराकरण हेतु अपर आयुक्त के समक्ष लंबित हैं ऐंसी स्थिति में निगरानी को ग्राह्‌य किए जाने का कोई औचित्य प्रथम दृष्टया प्रकरण में नहीं है। जहॉ तक प्रकरण में स्थगन दिए जाने का प्रश्न प्रस्तुत दस्तावेजों के विचार उपरांत न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपर आयुक्त सागर द्वारा प्रकरण का निराकरण किए जाने अथवा 3 माह जो भी पहले हो तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 28—5—15 का क्रियान्वयन स्थगित रखा जाये। अपर आयुक्त उनकें समक्ष प्रस्तुत अपील का निराकरण तीन माह की अवधि में आवश्यक रूप से करें, उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जायें। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (हस्ताक्षर) सदस्य	

निगरानी 1521-J-15

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्रदीप कुमार तनय भवानी प्रसाद मुडोतिया,
निवासी पाठक वार्ड बीना (म०प्र०) .....आवेदक

//विरूद्ध//

1. नारायणीबाई वेवा भवानी प्रसाद मुडोतिया
2. माधवी पत्नि नरेन्द्र देवालिया
3. मनीषा पत्नि ब्रजेन्द्र पाराशर
4. मंजू पत्नि अवध नारायण शर्मा पुत्री भवानी प्रसाद मुडोतिया
   निवासी भोपाल (म०प्र०) .....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय श्रीमान् आयुक्त सागर, संभाग सागर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमाँक /अ–6/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 01–06–2015 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, आवेदक द्वारा एक आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष पिता के नाम विवादित मकान के नामांतरण हेतु प्रस्तुत किया था। जिसमें अनावेदकगणों की ओर से पृथक–पृथक अपनी सहमति नोटरियल शपथपत्र के माध्यम से देते हुए अपने हिस्से का हक त्याग कर नामांतरण हेतु लिखित सहमति प्रदान की थी। जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत हल्का पटवारी से प्रतिवेदन एवं स्थल पंचनामा तैयार कर अपीलार्थी के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करने विधि सम्मत आदेश दिनांक 20.03.12 पारित किया था। जिसकी अपील प्रतिअपीलार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश को निरस्त किए जाने से द्वितीय अपील श्रीमान अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसमें स्थगन आवेदन भी प्रस्तुत किया था जिसे निरस्त किए जाने के कारण यह निगरानी श्रीमान के समक्ष विधिवत् रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।

3. यह कि, इस प्रकरण में विद्वान अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सर्वप्रथम तो विचारण न्यायालय के पारित आदेश के विरूद्ध अवधि–वधित अपील को समयसीमा पर सुनवाई का अवसर दिए बिना एवं धारा 5 पर स्पष्ट पृथक से आदेश पारित किए बिना प्रकरण का निराकरण गुणदोंषों पर किया है इस कारण पारित आदेश प्रथम दृष्टया ही स्थिर